



प्रेस विज्ञप्ति

21.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दिनांक 21.08.2026 को दिवंगत श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड के संबंध में हैदराबाद और कडप्पा में 07 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

दिवंगत श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी के पितृ चाचा और कडप्पा के लोकप्रिय राजनीतिक नेता (पूर्व विधायक, सांसद) थे। दिनांक 15.03.2019 को उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी। माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 1639/2020 में दिनांक 11.03.2020 को पारित अपने आदेश के माध्यम से सीबीआई को आगे की जांच करने का निर्देश दिया था।

सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की और व्यापक जांच करने के बाद इस मामले में 03 आरोपपत्र दाखिल किए, जिनमें श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी (कडप्पा से वाईएसआरसीपी लोकसभा सांसद), श्री वाई. एस. भास्कर रेड्डी, श्री डी. शिव शंकर रेड्डी, श्री टी. गंगी रेड्डी, श्री वाई. सुनील यादव और अन्य को आरोपी बनाया गया। सीबीआई के आरोपपत्र में खुलासा हुआ कि वाईएसआरसीपी के राजनीतिक पदाधिकारी श्री डी. शिव शंकर रेड्डी और उनके करीबी सहयोगी श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी एवं उनके पिता श्री वाई. एस. भास्कर रेड्डी इस बात से असंतुष्ट थे कि दिवंगत श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी वाईएसआरसीपी में शामिल हो गए थे, क्योंकि राजनीति में उनके बढ़ते प्रभाव से उनके राजनीतिक प्रभाव को चुनौती मिल सकती थी। अतः उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने अपराधिक साजिश रची और इस साजिश में उनके स्टाफ के सदस्यों, जिनमें टी. गंगी रेड्डी, शेख दस्तगिरी और वाई. सुनील यादव शामिल थे, को भी शामिल किया।

श्री शेख दस्तगिरी बाद में सरकारी गवाह बन गए और विशेष सीबीआई न्यायालय द्वारा उन्हें क्षमादान प्रदान किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि हत्या की साजिश हत्या से लगभग एक माह पहले रची गई थी। श्री टी. गंगी रेड्डी ने उन्हें बताया कि श्री डी. शिव शंकर रेड्डी और कुछ वरिष्ठ राजनेता भी दिवंगत श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या की योजना में शामिल थे। श्री डी. शिव शंकर रेड्डी हत्या के लिए उन्हें 40 करोड़ रुपये देते। शेख दस्तगिरी को टी. गंगी रेड्डी ने 40 करोड़ रुपये की वादा की गई राशि में हिस्से के रूप में 5 करोड़ रुपये देने का प्रलोभन दिया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें श्री वाई. सुनील यादव से 1 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जिसमें से सुनील यादव ने 25 लाख रुपये अपने पास रख लिए। उन्होंने शेष 75 लाख रुपये अपने मित्र श्री सैयद मुन्ना को दे दिए। बाद में सीबीआई ने सैयद मुन्ना और उनकी मां के लॉकर से 46.70 लाख रुपये की नकदी और बेहिसाबी आभूषण बरामद कर जब्त किए।

सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी और दाखिल किए गए आरोपपत्रों के आधार पर ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया, क्योंकि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी और 302, जिन्हें मामले में लागू किया गया है, पीएमएलए, 2002 की अनुसूची के तहत अनुसूचित अपराध हैं। दिनांक 21.08.2026 को हैदराबाद और कडप्पा में प्रमुख आरोपियों के आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी के परिसर से 24 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी और 2 लॉकर की चाबियां बरामद कर जब्त की गईं।

मामले में आगे की जांच जारी है।